

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 04.09.2024

कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने व रूपयों का गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 467/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),316(2) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित अभियुक्त करन सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी म0न0 122/2 तरकुलानी टोला मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि उनकी फैक्ट्री बेक एण्ड ब्राउन में एकाउण्ट विभाग मे कैशियर के पद पर कार्यरत कर्मचारी करन सिंह उपरोक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक बेईमानी के नियत से कम्प्यूटर मे इन्ट्रियो का हेर-फेर करके 5,62,000 रुपये (पांच लाख बासठ हजार रुपये) का गबन कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

करन सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी म0न0 122/2 तरकुलानी टोला मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 467/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),316(2) बी0एन0एस0

गिरफ्तारी की टीम-

उ0नि0 विवेक सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर